<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 243 / 14</u> संस्थापन दिनांक:-22 / 04 / 14 फाईलिंग नं. 233504004202014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. चमन पिता शंकरलाल सोलंकी, उम्र 26 वर्ष
- 2. योगेश पिता रूसीलाल वामने, उम्र 23 वर्ष
- 3. अनिल पिता मदन नागले, उम्र 19 वर्ष तीनों निवासी वार्ड कृ. 17, बोड़खी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (निर्णय):-</u>

(आज दिनांक 14.02.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 454, 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.04.2014 को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच में चन्द्रकांत कोल्हे का मकान वार्ड नं. 17 बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उसे उपहित कारित करने या कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन किया एवं फरियादी के आवास गृह से एलसीडी टीव्ही 22 इंच कीमती 13,500/— रूपये चुरायी।
- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी के द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया था परंतु मात्र धारा 411 भा.दं.सं. शमनीय होने से उसके संबंध में अभियुक्त राजू को दोषमुक्त किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण पर आरोपित धारा 454, 380 भा.दं.सं. अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण जारी रखा गया। अतः यह निर्णय केवल अभियुक्तगण चमन, योगेश एवं अनिल के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 3 प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा को देखते हुए तथा मेमोरेंडम एवं जप्ती के अन्य साक्षी मनीष एवं पंजू को न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु बार—बार आहूत किये जाने के बाद भी अभियोजन द्वारा साक्षियों को परीक्षित कराये जाने में असफल रहने पर उनकी साक्ष्य प्रस्तुती का अवसर समाप्त किया गया।

- 4 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 04.04. 2014 को उसके किराये के मकान पर ताला बंद कर मजदूरी करने चला गया था। जब वह शाम 5 बजे घर आया तो उसके घर का दरवाजे का ताला टूटा होकर जमीन पर पड़ा था तथा दरवाजा खुला हुआ था। फरियादी के घर के अंदर रखी एलसीडी टीव्ही नहीं थी। फरियादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना आमला में अज्ञात के विरुद्ध अपराध क. 265/14 में धारा 454, 380 भा.दं.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्तगण का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त राजू से एलसीडी टीव्ही जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय मे पेश किया गया।
- 5 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.04.2014 को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच में चन्द्रकांत कोल्हे का मकान वार्ड नं. 17 बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उसे उपहित कारित करने या कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन किया एवं फरियादी के आवास गृह से एलसीडी टीव्ही 22 इंच कीमती 13,500/— रूपये चुरायी ?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

11 विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।। विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

दुर्गेश साहू (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के दिन अपने मकान में ताला लगाकर मजदूरी के लिए चला गया था जब वह शाम को वापस आया तो उसके मकान का ताला टूटा हुआ था और एलसीडी टीव्ही कोई चुराकर ले गया था। मिश्रीलाल (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसे फरियादी दुर्गेश ने यह बताया था कि उसकी फलेट स्क्रीन टीव्ही चोरी हो गयी है। प्रशांत शर्मा (अ.सा.—3) ने फरियादी

की रिपोर्ट पर अपराध क. 265 / 14 पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) पंजीबद्ध किया जाना प्रकट किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी दुर्गेश साहू के मकान से एक एलसीडी टीव्ही चोरी हुई थी।

- 8 दुर्गेश साहू (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि मेमोरेंडम (प्रदर्श प्री—3) पुलिस वालों ने उसके समक्ष बनाया था तथा संपत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—4) बनाया गया था। प्रशांत शर्मा (अ.सा.—3) ने दिनांक 06.04.2014 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए विवेचना के दौरान नक्शा मौका तैयार किये जाने के उपरांत दिनांक 06.04.2014 को अभियुक्तगण का मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया जाना तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताया है।
- 9 दुर्गेश साहू (अ.सा.—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में यह बताया है कि उसने सारे हस्ताक्षर पुलिस थाने में किये थे तथा उसके सामने अभियुक्तगण ने कुछ नहीं बताया था और न ही उसके सामने मेमोरेंडम तैयार किया गया था। स्वतः में साक्षी ने यह कहा है कि थाने में यह बताया था कि टीव्ही कोर्ट से मिलेगी इस बात के हस्ताक्षर लिये थे। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि जब उसने मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श प्री—3) पर हस्ताक्षर किये थे उस समय अभियुक्तगण मौके पर उपस्थित नहीं थे। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही अभियुक्त राजू की दुकान से उसके समक्ष टीव्ही जप्त की गयी थी। प्रशांत शर्मा (अ.सा.—3) से प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्परूप के प्रश्न पूछे गये हैं।
- 10 इस प्रकार मेमोरेंडम एवं जप्ती के साक्षी दुर्गेश (अ.सा.—1) ने मेमोरेंडम एवं जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। जप्ती के प्रपन्न अपने आप में साक्ष्य नहीं है, जब तक कि उनके कथनों को प्रमाणित न करवाया जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत श्रवण विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2006(2) ए.एन. जे.एम.पी. 235 अवलोकनीय है। प्रकरण में विवेचक साक्षी प्रशांत शर्मा (अ.सा.—3) ने अभियुक्त राजू की दुकान से एक एलसीडी टीव्ही जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया जाना बताया है परंतु उक्त साक्षी के कथनों से यह कहीं भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा बताये गये स्थान से उसके द्वारा सामान जप्त किये गये हों, किस जगह से सामान जप्त किया गया यह भी साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। इस प्रकार जप्ती के गवाह दुर्गेश (अ.सा.—1) के साथ—साथ स्वयं विवेचक साक्षी ने कथनों को प्रमाणित नहीं किया है। विवेचक साक्षी प्रशांत शर्मा (अ.सा.—3) के द्वार शिनाख्ती की कार्यवाही भी नहीं करवायी गयी है।
- 11 प्रकरण में फरियादी दुर्गेश के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट लेख करायी गयी है। घटना के समय फरियादी अपने घर पर नहीं था। तब ऐसी

स्थिति में जबिक अभियुक्तगण के द्वारा चोरी की जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है तब यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने चोरी करने के आशय से फरियादी के घर पर ताला तोड़कर गृह भेदन किया।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उसे उपहित कारित करने या कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन किया एवं फरियादी के आवास गृह से एलसीडी टीव्ही 22 इंच कीमती 13,500/— रूपये चुरायी। फलतः अभियुक्तगण चमन, योगेश एवं अनिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 380 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 13 प्रकरण में जप्तशुदा एलसीडी टीव्ही दुर्गेश पिता दीनू साहू, निवासी वार्ड नं. 17, बोड़खी आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दी गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।
- 14 अभियुक्तग पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)